

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-14/2024-25

—: आदेश :—

पृष्ठ 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
31/07/2024	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) बिलासी देवी उर्फ बिलासी रजवार पति-कृष्ण प्रसाद रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-बाँधगोड़ा साईड, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बहादुरपुर के थाना नं0-45, खाता नं0 पुराना-14, नया-26, प्लॉट नं0 पुराना-601, नया-1056, 1057, पुराना-598 नया-1052, कुल रकवा-47 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 243/भू0सु0, दिनांक 22.06.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1611 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे दलील बिलासी देवी (रजवार) के नाम से दर्ज है। 2. भूमि दलील से प्राप्त है। बिक्रेता दलील रैयत का संबंध निज है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से बिक्रेता का संबंध निज है। 4. (क) बिक्रेता ग्राम-बाँधगोड़ा साईड, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता ग्राम-बाँधगोड़ा साईड, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। 6. क्रेता एवं बिक्रेता (SC/OBC के मामले में) एक ही जिला बोकारो के अन्तर्गत आते हैं। बिक्री की जाने वाली भूमि इसी जिला के अन्तर्गत आता है। 7. बिक्रेता रजवार जाति के हैं एवं क्रेता रजवार जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास 1.31 एकड़ जमीन अवशेष बचता है 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 47 डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को दलील द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 8/40 पर बिलासी देवी के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-8, पृष्ठ सं0-40 में अंकित है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरग गोड़ा II है। 18. आवेदक को मौजा-बहादुरपुर के थाना नं0-45, खाता नं0 पुराना-14, नया-26, प्लॉट नं0 पुराना-601, नया-1056, 1057, पुराना-598 नया-1052, कुल रकवा-47 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

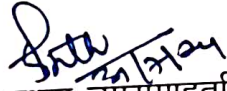
आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2023/333003 दिनांक 06.06.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2024/312274 दिनांक 06.04.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) बिलासी देवी उर्फ बिलासी रजवार पति-कृष्ण प्रसाद रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-बाँधगोड़ा साईड, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बहादुरपुर के थाना नं०-45, खाता नं० पुराना-14, नया-26, प्लॉट नं० पुराना-601, नया-1056, 1057, पुराना-598 नया-1052, कुल रकवा-47 डी० भूमि (क्रेता) छत्रपति रजवार पिता-कृष्ण प्रसाद रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-बाँधगोड़ा साईड, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की

अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।